संख्या-91/666जेपीआर/22-3-14-800(300)/2012

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
मेरठ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 04 दिसम्बर, 2014***

विषय- जिला कारागार, मेरठ के बंदी खालिद पुत्र स्व0 आबिद, निवासी-मो0-मौसमखानी, वार्ड नं0-11, कस्बा व थाना-किठौर, जिला-मेरठ को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जिला कारागार, मेरठ के बंदी खालिद पुत्र स्व0 आबिद, निवासी-मो0-मौसमखानी, वार्ड नं0-11, कस्बा व थाना-किठौर, जिला-मेरठ को शासनादेश संख्या-44/2536जेएल/22-3-14-800(300)/2012, दिनांक 09-10-2014 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-91/666जेपीआर(1)/22-3-14-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in